# असाधारण 

EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II-Section 3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 311] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2015/वैशाख 28, 1937. |  |
| :--- | :--- |
| No. 311] | NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2015/VAISAKHA 28, 1937 |

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(कार्मिक शाखा-4)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 मई, 2015
सा.का.नि. 389 (अ).-दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के उप-नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. एफ-7 (121) 2010 /पी.बी.-1 दिनांक 15.9 .2011 द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियम के अधिक्रमण में दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुभोदन से. एतद्वारा दि.वि.प्रा. में राजस्व संवर्ग के उप-निदेशक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो एवं पटवारी के पदों के भर्ती विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है ।

दि.वि.प्रा. में उप-निदेशक (राजस्व) के पद हेतु मर्ती विनियम

| क्रम <br> सं. | भर्ती विनियम का मानक <br> प्रूपप/कॉलम | दि.विप्रा. के विद्यमान भर्ती <br> विनियम में प्रावधान | दि.विप्रा. के भर्ती विनियम में <br> प्रस्तावित संशोधन | ऐसे संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |


| 9 | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं : पदोन्नत और प्रतिनियुकित पर आए अधिकारियों के मामले में लागू होंगी । | लागू नहीं | कोई परिवर्तन नहीं |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10 | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | 2 वर्ष | कोई परिवर्तन नहीं | - |
| 11 | मंर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति 'द्वारा, जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | कोई परिवर्तन नहीं | - . |
| 12 | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में. उस ग्रेड का नाम जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है । | पदोन्नति के लिए <br> सहायक बंदोबस्त अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा की हो । <br> प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण <br> निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले केंद्र सरकार /राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत निकायों में कार्यरत अधिकारी : <br> (क) <br> 1 मूल विभाग में सदृश पद धारण करते हों अथवा <br> $25400 /$-रू. को ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 अर्थात् <br> 15600-39100/-रू. में मूल विभाग में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा <br> $34800 /$-रू. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 अर्थत् <br> 15600-39100/-रू. में मूल विभाग में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित । <br> (ख) राजस्व के क्षेत्र में कार्य का अनुभव । | पदोन्नति <br> तहसीलदारों में से जिन्होंने ग्रेड में 6 वर्षो की नियमित सेवा की हो। <br> प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /स्वायत निकायों में कार्यरत अधिकारी : <br> (क) <br> 1 मूल विभाग में सदृश पद धारण करते हों अथवा $5400 /-$ रू. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 अर्थात् 15600-39100/-रू. में मूल विभाग में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा <br> 4800 /-रू. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 अर्थात् $9300-34800 /-$ रू. में मूल विभाग में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित । <br> (ख) राजस्व के क्षेत्र में कार्य का अनुभव । | सहायक बंदोबस्त अधिकारी के पद को तहसीलदार के पद के साथ मिला दिया गया है । $4800 /$ रूु. से - $6600 /-$ रू. के ग्रेड वेतन में पदोन्नति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसार 6 वर्षो की अर्हक सेवा है जिसे दिनांक 12.122014 को हुई प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत के अनुसार किया गया है । |
| 13 | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ? | समूह 'के की विभागीय पदोन्नति समिति | समूह 'क' के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किया गया है। <br> (केवल पदोन्नति के लिए) | विभागीय पदोन्नति समिति का गठन दि.वि.प्रा. द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित किया जाता है तथा इसके गठन में समय-समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए केवल विभागीय पदोन्नति समिति के स्तर का उल्लेख किया गया है ताकि विभागीय पदोन्नति सिमति के गठन में परिवर्तन के साथ भर्ती किनियमों में किसी संशेंन्न की आवश्यकता न हो । |
| 14 | शिथिल करने की शक्ति | जब उप-राज्यपाल, दिल्ली की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके इन नियमों के किसी भी प्रावधान को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं । | जब अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को आदेश द्वारा शिधिल कर सकते हैं। | - |
| 15 | बचाव | इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े | कोई परिवर्तन नहीं | - |





| 2 वर्ष | लागू नहीं | - |
| :---: | :---: | :---: |
| 100 प्रतिशत पदोलति द्वारा ऐसा ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा | 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | - |
| पदोन्नति हैतु इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ नायब तहसीलदार से। | पदोन्नति हेतु <br> इस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ नायब तहसीलदार से। प्रतिनियुक्ति केन्द/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत निकायों में कार्यरत अधिकारियों में से जो निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं :- <br> - मूल विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करने वाले अथवा मूल निभाग में तेतनवैंड-2 अर्श्शात $9300-34800 /$-रू. के साथ $4200 /$ - रू. के मेंड वेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा । |  |

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline ${ }^{13}$ \& यदि कोई विभागीय पदोनति समिति है तो उसका गठन क्या है ? \&  \& समूह 'ख के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किया गया है । (केवल पदोन्नति के लिए) \&  <br>
\hline 14

15 \& शशिथिल करने की शक्ति \& मर्ती विनियमों में नहीं हैं। \& जब अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं। \& <br>
\hline 15 \& बचाव \& भर्ती विनियमों में नहीं है। \& इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस संबंध में क्रेंद्र सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनेजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भुतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण. आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । \& - <br>

\hline 16 \& निरहता \& भर्ती विनियम में नहीं \& | कोई भी व्यक्ति |
| :--- |
| (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विताह कर लिया हो अधवा विवाह करने का अनुर्यं किया हो जिसकी पति/पली जीवित हो. अथवा |
| (ख) जिसने अपने पति/पली के जीवित रहते हुए किसी अन्य | \& <br>

\hline
\end{tabular}

व्यक्ति, से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, वह उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार/ दि. वि.प्रा. इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉं) के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।
दिल्ली विकास प्राधिकरण में नायब तहसीलदार के पद हेतु मर्ती विनियम

| क्रम सं. | भर्ती विनियम का मानक प्ररूप / कॉलम | दि.वि.प्रा, के विद्यमान भर्ती विनियम में प्रावधान | दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियम' में प्रस्तावित संशोधन | ऐसे संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पद का नाम | नायब तहसीलदार | कोई परिवर्तन नहीं | - |
| 2 | पद्दों की संख्या | 24 | 50 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | आयुक्त (कार्मिक) द्वारा जारी किए गए संस्थापना आदेश सं. 1032 दि० 18.6.2010 के अनुसार 50 । |
| 3 | वर्गीकरण | समूह -ग | समूह-ख | - |
| 4 | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/. वेतनमान | वेतनमान $\begin{aligned} & 1400-40-1900 \text {-द.रो. } \\ & -50-2300 / \text { रू. } \end{aligned}$ | वेतनबैंड-2 <br> 9300-34800/-रू. <br> + ग्रेड वेतन $4200 /$-रू. | वेतनमान, छवे वेतन आयोगe की अनुशंसाओं के अनुराए संशोधित कर दिया गया है, जिन्हें दि. वि.प्रा. द्वारा संकल्प सं. $20 / 2009$ दि० 3.6.2009 द्वारा अपनाया गया तथा जिन्हें संस्थापना आदेश सं. 1988 दि० 6.10 .2009 द्वारा परिचालित किया गया । |
| 5 | चयन पद है अणवा अचयन पद है । | चयन | कोई परिवर्तन नहीं | - |
| 6 | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 18-25 वर्ष | 21 से 30 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों और दि.वि. प्रा. के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है ।) | आयु सीमा डी.ओ.पी.टी. अधिसूचना दि० 21.12.1998 के अनुसार निर्धारित की गई है । |
| 7 | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम $30^{\circ}$ के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है । | लागू नहीं | कोई परिवर्तन नहीं | - |
| 8 | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं | अनिवार्य <br> 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक अथवा समकक्ष ; <br> 2 राजस्व और भूमि अधिग्रहण कार्य में 2 वर्ष का अनुभव ; <br> 3 भूमि एवं सम्पदा मामलों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, विनियमों एवं कार्य पद्धतियों को लागू करने का ज्ञान ; <br> 4 उर्दू/हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान । | अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष, 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक सहित वांछनीय <br> 1 भूमि एवं सम्पदा मामलों से संबंधित विभिन्न अधिनियंमों, विनियमों एवं कार्य पद्धतियों को लागू करने का ज्ञान : <br> 2 विधि स्नातक की डिप्री होना अतिरिक्त विशेषता मानी जाएगी । टिप्पणी <br> नए पदधारी को विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और परिवीक्षा अवधि को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर ही हटाया जाएगा । | 1) विधि स्नातक की डिग्री संबंधी प्रावधान को लिपिकीय एवं अन्य (मि० सं. एफ -7 (66) 2004 /पीबी-1/पार्ट-5) की कैडर समीक्षा के बारे में टिक्कू समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के अनुसार सामान्य डिग्री में बदला गया है जिन्हें प्राधिकरण द्वारा दि० 18.6.2008 को हुई अपनी बैठक में कार्यावली मद स. $49 / 2008$ द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया था और बैठक कक्ष द्वारा सं. एफ-2 $(2)$ 2008/ एम. सी. / डीडीए/ 204 दि० 7 जुलाई, 2008 द्वारा विधिवत् परिचालित कर दिया गया था । <br> 2) राजस्व एवं भूमि अधिग्रहण के संबंध में 2 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किसी भी नए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसलिए यह अनावश्यक है और इसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। <br> 3) इसी प्रकार अधिनियमों, विनियमों आदि और इसी तरह के ज्ञान को समुचित प्रमाण-पत्र के अभाव में आंका नहीं जा सकता । इसलिए यह भी अनावश्यक है और इसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है । <br> 4) पटवारियों के पद से भिन्नता रखने के लिए 50 प्रतिशत अर्यंवा अधिक अंक होने की शर्त शामिल की गई है । |



दिल्ली विकास प्राधिकरण में कानूनगो के पद हेतु मर्ती विनियम

| $\begin{aligned} & \text { क्रम } \\ & \text { सं. } \end{aligned}$ | भर्ती विनियम का मानक प्ररूप/कॉलम | दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियम में प्रावधान | दि.वि.प्रा. के भर्ती विनियम में प्रस्तावित संशोधन | ऐसे संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | पद का नाम | कानूनगो | कोई परिवर्तन नहीं |  |
| 2 | पदों की संख्या | 36. |  |  |
|  |  | 36 | 80*. (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन) | शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संवर्ग समीक्षा रिपोर्ट के परिणामस्वरूप जारी संस्थापना आदेश सं. 1032 दि० 18.6 .2010 द्वारा इस संवर्ग की पुननिर्धारित संस्वीकृत संख्या 80 समझी जाए । <br> *विद्यमान संस्वीकृत संख्या परिवर्तन की शर्त सहित। |
| 3 | वर्गीकरण | समूंह -ग | कोई परिवर्तन नहीं | - |
| 4 5 | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेलन/ वेतनमान | 1200-2040/-रू. | वेतनबँडड-1 $5200-20200 /$-रू. अर्थात + ग्रेडवेतन $2400 /$-रू. | वेतनमान दि० 6.10 .2009 के संस्थापना आदेश सं. 1988 द्वारा परिचालित दि० 3.6 .2009 के संकल्प सं. $20 \% 2009$ द्वारा दि.वि.प्रा. द्वारा अपनाए गए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में संशोधित किया गया है । |
| 5 | क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है । | भर्ती विनियमों में नहीं है । | अचयन | - |
| 6 | क्या केन्दीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्भत जोड़े गए सेवा वर्षॉ का लाभ देय है। | भर्ती विनियमों में नहीं है । | लागू नहीं | पेंशन नियमावली के नियम 29 के अंतर्गत जी.आई.डी. को ध्यान में रखते हुए नियम 30 का प्रावधान लागू नहीं होता है । |
| 8 | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | भर्ती विनियमों में नहीं है । | लागू नहीं | भर्ती की पद्धति 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा है । |
| 8 | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्ठताएं | भर्ती विनियमों में नहीं है। | लागू नहीं | - |


| 9 | क्या सीधी भर्ती के लिए |
| :--- | :--- |
| निर्धारित आयु और शैक्षिक |  |
| अर्ताएयं, पदोन्नत और |  |
| प्रतिनियुक्ति पर आए |  |
| कर्मवारियों के मामले में लागू |  |
| होंगी ? |  |

भर्ती विनियमों में नहीं है ।


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY



दिल्ली विकास प्राधिकरण में पटवारी के पद हेतु भर्ती विनियम


$2185 \mathrm{cz} / 15-3$

[सं. एफ-7(135) 2010/पी.बी.-1/597] ।

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY <br> (Personnel Branch-IV) NOTIFICATION <br> New Delhi, the $15^{\text {th }}$ May, 2015

G.S.R. 389(E).-In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957) read with Sub-Rule 4 of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959 and in supersession of the Recruitment Regulations notified vide Notification No. F.7(121)2010/PB-I dst. Tehsildsi, Kan Delhi Development Authority hereby amends the Recruitment Regulation for the posts of Dy. Director (Revenue), Tehsildar, Nail -


|  |  |  |  | change from time to timé. Hence only level of the DPC <br> has been mentioned so that the RRs may not need any modification with the change in constitution of the DPC. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 14. | Power to Relax | Where the Lt. Governor, Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these Rules. | Where the Chairman, Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category or persons or posts. | - |
| 15. | Savings | Nothing in these Regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. | No change | -- |
| 16. | Disqualification | No person- <br> (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or <br> (b) Who having a spouse living, has entered into or contacted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post. Provided that the Authority may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person \& the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule. | No change | - |

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF TEHSILDAR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

| $\begin{aligned} & \hline \text { SI. } \\ & \text { No. } \\ & \hline \end{aligned}$ | Standard Format/Col. Of RRs | Provisions in the existing RRs of DDA | Proposed Modifications in the RR of DDA | Remarks/Reasons for such modifications |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Name of the Post | Tehsildar | No change | -- |
| 2. | No. of Post | 10 | 27 <br> (subject to variation depending on work load) | The sanctioned strength in the cadre stands redetermined vide E.O. No. 1032 dt .18 .6 .2010 consequent of Cadre Review Report approved by the MOUD. Further 7 posts of Assti. Settlement officers have been merged with Tehsildar. <br> * Existing sanctioned strength with variation clause. |
| 3. | Classification | Group ' ${ }^{\text {' }}$ | No Change | - |
| 4. | Pay Band \& Grade pay/Pay Scale | Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/- | Pay Band-2 i.e. Rs. 9300-34800/- <br> With Grade Pay of Rs. 4800/- | A.S.O. merged with Tehsildar |
| 5. | Whether Selection Post or Non Selection Post | Selection | No change | - |
| 6. | Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Peasion) Rules, 1972 | No | No change | $\cdots$ |
| 7. | Age limit for direct recruits. | 18 -25 years relaxable upto 5 years for Govt. employees and the employees of DDA. | Not applicable | Method of recruitment is $100 \%$ by promotion |


| $8$ | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: Degree in Law from a recognized university or equivalent. | Not applicable | Method of recruitment is $100 \%$ by promotion. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists | No | Not applicable |  |
| 10. | Period of probation, if any. | Two years. | Not applicable. |  |
| 11. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | $100 \%$ by promotion failing which by direct recruitment | $100 \%$ by promotion failing which by deputation. |  |
| 12. | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made. | For promotion <br> From Naib-Tehsildar with 5 yrs regular service in the grade. | For promotion <br> From Naib-Tehsildar with <br> 6 yrs. regular service in the <br> grade. <br> Deputirion <br> Officer working in <br> Centrai/State Govt./Public <br> Sector Undertaking/ <br> Autonomous Bodies having <br> following eligible criteria; <br> - Holding analogous post <br> on regular basis in the <br> parent Department <br> $\quad$ OR <br> With 6 yrs, of Regular <br> Service in the parent <br> deptt. in PB-II i.e. <br> Rs. $9300-34800 /-$ with <br> G.Pay of Rs. $4200 /-$. | he qualifying service is as per DOPT OM dt. <br> 24.3.2009 |
| 13. | If a DPC exists, what is its composition. | Sr. level DPC comprising <br> Vice Chairman : Chairman <br> Finance Member: Member <br> Secretary : Member <br> Commr.(P)/Dir. (P): M. Secy. <br> Department Head : Member | Senior Level DPC for Group - B officers as notified by DDA from time to time (for promotions only). | The composition of the DPC is notified by DDA separately and its constitution may also change from time to time. Hence only level of the DPC has been mentioned so that the RRs may not need any modification with the change in constitution of the DPC. |
| 14. | Power to Relax | Not in RR | Where the Chairman, Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of persons or posts. |  |
| 15. | Savings | Not in RR | Nothing in these Regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and otherspecial categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. |  |
| 16. | Disqualification | Not in RR | No person:- <br> (a) Whe hes entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive: or <br> (b) who having a spouse living, has entered into or |  |

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF NAIB TEHSILDAR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

| $\begin{aligned} & \text { SL. } \\ & \text { No. } \end{aligned}$ | Standard format/Col. Of RRs | Provision in the existing RRs of DDA | Proposed modification in the existing RRs | Remarks/reasons for such modification |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Name of the post | Naib Tehsildar | No change | - |
| 2. | No. of post | 24 | 50 (Subject to variation dependent on work load) | 50 as per E.O. No. 1032 dated 18.6.2010 issued by Commr.(Pers.) |
| 3. | Classification | Group-C | Group-B | - - |
| 4. | Pay Rand \& C Grade Pay/Pay Scale | $\begin{aligned} & \text { Pay scale Rs. 1400-40-1900-EB-50- } \\ & 2300 /- \end{aligned}$ | Pay band-2, Rs. $9300-34800 \%$ Grade Pay Rs.4200/- | The pay scale has been modified in accordance with the recommendations of $6^{\text {th }}$ Ceniral Pay Commission as adopted by DDA vide resolution No. 20/2009 dated 3.6.2009 circulated vide E.O. No. 1988 dated 06.10.2009 |
| 5. | Whether selection or Non selection post | Selection | No change |  |
| 6. | Age limit for direct recruits | $18-25$ years | Between 21 and 30 years (relaxable for Govt. employees and employees of DDA in accordance with the orders or instructions issued by central Govt.) | The age limit has been prescribed as per the DOPT notification dated 21.12.1998. |
| 7. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) rules 1972. | Not applicable | No change |  |
| 8. | Educational and othei qualification'required for direct recruits | Essential: <br> 1. Degree of law from a recognized University of Equivalent; <br> 2. Two years experience in Revenue and Land acquisition work; <br> 3. Knowledge of application of various acts; regulation and procedures concerning Land and Estate matters; <br> 4. Working knowledge of Urdu/Hindi. | Essential: <br> Degree from a recognized University or Equivalent with 50\% marks or above. <br> Desirable <br> 1. Knowledge of application of various acts, regulation and procedures concerning Land and Estate matters; <br> 2. Possession of Degree in Law would be an added advantage. <br> Note:- Training shall be imparted to the new incumbents by the department and probation shall be lifted only on successful completion of the training. | (1)The provision regarding Degree in Law has been replaced by ordinary Degree as per recommendations of Tikoo Committee Report on the Cadre review of the Ministerial \& others (F.No.7(66)104/PB-I/PL.V) duly approved by the Authority in its meeting held on 18.6.2008 as Item No.49/2008 duly circulated by Meeting Cell vide No. F. 2 (2) $2008 / \mathrm{MC} / D D^{2} / 204$ dated $7^{\text {th }}$ July, 2008; <br> (2)The provisions of 2 years experience in Revenue and Land acquisition cannot be acquired by any fresh candidate and hence it is superfluous and needs to be amended; <br> 3)Similarly, knowledge of acts, regulations etc. and the same cannot be gauged in absence of a proper | contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said post. Provided that the Central Govt./DDA may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF KANOONGO IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY



RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF PATWARI IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

| SL <br> No. | Standard format/Col, of RRs | Provision in the existing RRs of DDA <br> P. | Proposed modification in the <br> existing RRs | Remarks/Reasons for such <br> modifications |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

$2185 \mathrm{GI} / 15-5$

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[Part II-Sec. 3(i)]

| 5. | Whether Selection or NonSelection post. | Non-Selection | Not applicable | - ${ }^{\text {\% }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6. | Sclection post Age ligit for direct recruits | $18-25$ years | Between 21 and 27 years (Relaxable for Govt. employees and employees of DDA in accordance with the orders or instructions issued by Central Govt.) | The provision has been made in an appropriate form. with relaxation clause without specifying the period of relaxation as it would be governed by the orders or instructions of GOl from time to time. This is the minimum age for govt jobs. |
| 7. | Whetifer benefit of added years of servicé admissible under nule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. | Not Applicable | No change | - ${ }^{-1}$ |
| 8. | Educalional and other Qualifications required for direct recruits. | Esscntial: <br> 1. Matric or equivaient from a recognized University/Board or equivalent. <br> 2. Should have passed Patwari (Revenue) Examination. <br> 3. Working knowledge of Urdu/lfindi. <br> Desirable: <br> Experience as Patwari. | Essential: <br> 1. Graduate from any recognized University or equivalent there of. Desirable: <br> 1. Proficiency in computer. <br> 2. Working knowledge of Urdu/Hindi. <br> Note:- Training shall be imparted to the new incumbents by the department and probation shall be lifted only on successful completion of the training. | Training shall be imparted to the new incumbents by the department and probation shall be lifted oaly on successful completion of the training |
| 9. | Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists. | Age: 18-25 Years Direct recruitment post. | Age-Not applicable Educational Qualification may be relaxed for deputationist. | - |
| 10. | Period of probation, if any. | 2 years | 2 year or till successful completion of training. whichever is later. |  |
| 11. | Method of recruitment, whether by direet recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | By direct recruitment failing which by deputation. | By Direct Recruitment failing which by deputation. |  |
| 12. | In case of recruitment by promotion/transfer/deputgation/ absorption, grades from which promotion/transfer/deputation/ absorption is to be made. | By deputation with 5 year regular service in the grade. Failing which from such with 10 year regular service and possessing educational ? qualification prescribe for direct recruitment. | By Deputation from official holding analogous posts on a regular basis in Central GovL/State Govt/PSUs. | $\sim^{-1}$ |
| 13. | If a DPC exists, what is its composition. | Junior level DPC consisting of the following:- <br> Commr. (Pers.)- Chairman. <br> CAO - Member. <br> Director (P) - Member. <br> Dy. Director - representing ST/SC <br> Member. <br> Dy. Director $(\mathrm{P})$ - Member Secy. | Not applicable. | Method of recruitments is by direct recruitment failing which by deputation. |
| 14. | Power to Relax. | Not in RR's. | Where the Chairman Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing, relex any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category or persons or posts. |  |
| 15. | Saving | Not in RR's. | Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, the other backward classes, ExServiceman and other special categories of persons in accordance with the orders |  |


[No. F-7(135)/2010/PB-1/597]
DSARKAR, Commissioner-Cum-Secy

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II-Section 3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

## आवासन और शहरी कार्य मंश्रालय

बधिसूसनना
नई दिन्ली, 28 मई, 2019
सा.का.नि. 392(अ).-केंद्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उपधारा (2) के बंड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकांस प्राधिकरण से परामर्श करने के पथात् दिल्ली विकास प्राधिकरण में नायव तहसीलदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम- (1) इन नियमों का मंक्षित्त नाम दिन्न्ती विकास प्राधिकरण (नायव तहसीलदार) भर्ती नियम, 2019 हैं।
(2) ये गाजपन्न में उनके प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंग।।
2. प्रारंभिक गठन-नायब तहसीलदार के पद को धारण करने वाले पेंसे पदधारक, जो तारीख 15 मई, 2015 के मा.का.नि. $389(अ)$ के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 , उप-बंड(i) में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसृचित भर्ती विनियमों और अन्य पूर्व भर्ती विनियमों के अनुमार नियमित आधार पर नियुक्त हुए थे और उनके द्वारा तोसे प्रारंभ में पूर्व उत्त पद पर की गई सेवा को पर्विक्षा, पुट्टिकरण, प्रोन्नति आदि के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएग्गा।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिए है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धनि, आयु-मीमा,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंर्गी जो उत्त अनुसूची कें स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिंट्ट है।
5. निरहता-वह व्यक्ति,-
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह कियां है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिमने अपनी पन्नी/पति के जीवित रहते हुए किमी न्यत्ति मे विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परंतु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ोेसा विवाह ोंमे व्यक्ति और विवाह्द के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किमी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन मे छूटट दे सकेरी।
6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि तिसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपवंध्र को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिन की जा सकेगी।
7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेरी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जाती किए गाए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछ्छडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिद्धडा वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।



K. SANJAY MURTHY, Addl. Secy.
